न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 742–पीबीआर/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 21 मार्च, 2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 378/05–06/अपील.

कन्हैयालाल पिता फकीरन्द कुलमी
निवासी ग्राम कुम्हारवाड़ी
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामनारायण लाल पिता फकीरन्द कुलमी
निवासी ग्राम कुम्हारवाड़ी
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन

2– इन्दरबाई पति बद्रीलाल कुलम्बी (मृतक) द्वारा वारिसान
(1) सुरेश पिता बद्रीलालजी
(2) भरतलाल पिता बद्रीलालजी
निवासीगण ग्राम चिरोला छोटा
तहसील खचरोद जिला उज्जैन
(3) धापूबाई पति लक्ष्मीनारायणजी
निवासी ग्राम धामनोद
तहसील रतलाम जिला रतलाम
(4) कान्ताबाई पति राधेश्यामजी
निवासी ग्राम घिनोदा
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन
(5) शान्तिबाई पति ओमप्रकाशजी
(6) राजूबाई पति सुखदेवजी
निवासीगण ग्राम सोहनगढ़
तहसील जावरा जिला रतलाम

3– कंचनबाई पति राधाकिशन कुलम्बी
निवासी ग्राम मीण
तहसील खाचरोद जिला उज्जैन

4– रम्भाबाई पति बालमुकुन्द कुलम्बी (मृतक) द्वारा वारिसान

(1) राधेश्याम आत्मज बालमुकुन्द कुलम्बी
निवासी ग्राम रोजाना
तहसील जावरा जिला रतलाम
(2) प्रकाश आत्मज बालमुकुन्द कुलम्बी
(3) सुरेश आत्मज बालमुकुन्द कुलम्बी
(4) विक्रम आत्मज बालमुकुन्द कुलम्बी
निवासीगण खरसोदकलां
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

.....

श्री आलोक शास्त्री, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 मार्च, 2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण इन्दरबाई, कंचनबाई एवं रम्भाबाई द्वारा तहसीलदार, खाचरोद के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके पिता फकीरचन्द की ग्राम कुम्हारवाड़ी स्थित भूमि का उनके भाईयों आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आपस में बटवारा कर लिया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमियां पैतृक होकर उनमें उनका हक है, अतः प्रश्नाधीन भूमियां पर उन्हें हिस्सा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अ–6/2004–05 दर्ज कर दिनांक 24–2–2006 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर वारिसाना नामांतरण स्वीकृत कर उभय पक्ष का प्रश्नाधीन भूमियों के समान भाग पर नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खाचरोद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–7–2006 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के

आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21 मार्च 2007 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों का पूर्व में बटवारा होकर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे थे, ऐसी स्थिति में उनकी भूमि में अनावेदिका कमांक 2, 3 व 4 को हिस्सा देने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही किये जाने के बावजूद अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 2, 3 व 4 द्वारा किस आधार पर नामांतरण चाहा गया है, ऐसा कोई दस्तावेज तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि जिस समय अनावेदिका कमांक 2, 3 व 4 द्वारा नामांतरण की मांग की गई है, उस समय प्रश्नाधीन भूमियों पर स्व. फकीरचन्द का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक सहित अनावेदिका कमांक 2, 3 व 4 के विरूद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि आदेश दिनांक 4–8–2003 से निरस्त हुआ है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत है कि प्रश्नाधीन भूमियां उभय पक्ष के पिता स्व. फकीरचन्द के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर पैतृक भूमियां हैं, और फकीरचन्द की मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान हक होने के बावजूद भी आवेदक द्वारा अपना नामांतरण प्रश्नाधीन भूमियों पर करा लिया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत उभय पक्ष का प्रश्नाधीन भूमियों में समान भाग पर स्वत्व होना मानते हुए नामांतरण आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की

गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना वैध प्रावधानों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया गया था, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना कर यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी भाई–बहनों का प्रश्नाधीन भूमियों पर समान भाग पर नामांतरण होना चाहिए, अपर आयुक्त का उक्त निष्कर्ष पूरी तरह विधि अनुकूल है । पूर्व में भी उनकी माता की मृत्यु होने पर उसकी भूमि पर सभी भाई–बहनों का समान भाग पर नामांतरण हुआ है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 मार्च, 2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर